N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0200 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 06/08/2025 17:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 04/08/2025 Date To (दिनांक तक): 04/08/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 09:00 बजे Time To (समय तक): 13:14 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/08/2025 Time (समय): 12:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 06/08/2025 17:46:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 452 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): COURT PARISAR, UDAIPUR

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): LAXMI

(b) Husband's Name (पति का नाम): HOMA MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1985 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KAYA FALA BOJIYA TALAB, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KAYA FALA BOJIYA TALAB, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANJAY KUMAR MEENA		पिता:LAXMANLAL MEENA	1. HEAD CONSTABLE 2619,GORDHAN VILAS,UDAIPUR,RAJASTHAN,I

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	1000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	1,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 04.08.2025 को प्रार्थिया श्रीमती लक्ष्मी पत्नी होमा मीणा निवासी काया फला बोजिया तालाब थाना गोवर्धन विलास जिला उदयपुर ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि की "मैं प्रार्थिया श्रीमती लक्ष्मी पत्नी होमा मीणा निवासी काया फला बोजिया तालाब थाना गोवर्धन विलास जिला उदयपुर की रहने वाली हूं। मेरे पति होमा मीणा को कल दिनांक 03.08.2025 को गोवर्धन विलास थाने की पुलिस सुबह 6.30 बजे घर से पकड कर ले गई थी। मेरा पुत्र सुबह ही काम पर चला जाता है। मैं मेरे पति को छुडवाने के लिये लगभग 10 बजे थाना गोवर्धन विलास गई थी जहां हमारे गांव के मुखिया श्री भगवाना मीणा पिता सवाजी मीणा फला महेन्द्र बावडी भी अपने भाई प्रकाश मीणा को छुडवाने के लिये आये हुए थे। मैंने मुखिया श्री भगवाना मीणा को पुलिस वालों द्वारा मेरे पति होमा मीणा को थाने में बन्द करने की जानकारी दी और उनसे मेरे पति को छुडवाने में मदद करने के लिये कहा। इस पर श्री भगवाना मीणा ने थाने में सम्पर्क किया तो पता चला कि मेरे पति होमा मीणा को श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल ने कच्ची शराब के मुकदमे में बन्द किया है। जबकि मेरे पति होमा मीणा के पास से कोई शराब बरामद नहीं हुई थी। श्री भगवाना मीणा ने थाने में संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल से होमा मीणा को छोडने की बात की तो संजय कुमार मीणा ने कहा कि होमा मीणा की फाईल मेरे पास ही है। मैंने उसे कच्ची शराब के मुकदमे में बन्द किया है। आज रविवार है, अगर आज होमा मीणा को पेश करेगे तो उसकी जमानत नहीं होगी। आप 2000/- रूपये दे दो, तो होमा के साथ न तो मारपीट होगी और मैं कल ही उसकी जमानत भी करवा दूंगा। मैंने संजय कुमार मीणा को बताया कि अभी मेरे पास 2000/- रूपये नहीं है, कल मैं होमा मीणा के परिवारवालों से बात कर रूपये लेकर आ जाउंगा। आप होमा मीणा से कोई मारपीट मत करना। इस पर संजय कुमार मीणा ने अगले दिन सुबह 10.00 बजे रूपये लेकर थाने पर आने के लिये कहा। थाने में ही मेरे जानकार शैतान सिंह कानिस्टेबल मेरे पास आये और बोले कि चिन्ता मत करो। संजय कुमार मीणा जैसा कहे वैसा काम कर दो, संजय कुमार मीणा आपका काम कर देंगे। इसके बाद मैं और होमा मीणा की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी वापस गांव आ गये। गांव आकर हमने आपस में सलाह की और तय किया कि झूठे मुकदमें मे एक भी रूपया नहीं देंगे और भ्रष्ट संजय कुमार मीणा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकडवायेगें। मैं लक्ष्मी मीणा अपने गांव के मुखिया श्री भगवाना मीणा के साथ आज आपके कार्यालय आई हूं। मैं संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना गोवर्धन विलास को रिश्वत नहीं देना चाहती हूं और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूं। मेरा संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना गोवर्धन विलास से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन-देन अथवा बकाया है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही करवायें। परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी पत्नी होमा मीणा निवासी काया फला बोजिया तालाब थाना गोवार्धनविलास जिला उदयपुर मय अपने गांव के मुखिया श्री भगवाना मीणा के साथ उपस्थित आई एवं एक लिखित रिपोर्ट संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना गोवर्धन विलास के विरूद्ध प्रस्तुत की। परिवादिया की रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि लेन-देन का पाया जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया एवं उसके साथ आये श्री भगवाना मीणा पिता सवाजी मीणा फला महेन्द्र बावडी को ब्यूरो की ट्रैप कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाकर उपस्थित श्रीमती लक्ष्मी को लिखित रिपोर्ट के बारे में पूछा तो बताया तो श्रीमती लक्ष्मी मीणा ने अवगत करवाया कि ये लिखित रिपोर्ट मैंने मेरे साथ में आये भगवाना मीणा जी के पुत्र श्री थावरा पिता भगवाना मीणा से लिखवाई है। मुझे पढना लिखना नहीं आता है और ना मैं अपने हस्ताक्षर करना जानती हूं। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा के साथ में आये श्री भगवाना मीणा से पूछताछ की गई तो श्री भगवाना मीणा ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि श्रीमती लक्ष्मी मीणा मेरे गांव के ही अलग फले की रहने वाली है और काफी गरीब है। पुलिस थाना गोवर्धनविलास की पुलिस लक्ष्मी मीणा के पति को कल दिनांक 03.08.2025 को सुबह पकड कर ले गई थी जिस पर लक्ष्मी मीणा मुझे थाना गोवर्धन विलास पर मिली थी। लक्ष्मी मीणा के कहने पर मैंने संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना गोवर्धन विलास से थाने पर बात कि थी। इस दौरान संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना गोवर्धन विलास ने लक्ष्मी मीणा के पति होमा मीणा के साथ मारपीट नहीं करने एवं जमानत करने में महायता करने की एवज में 2000/- रूपये की रिश्वत की राशि की मांग की थी। लक्ष्मी मीणा से सलाह कर मेरे द्वारा अपने पुत्र थावरा से रिपोर्ट लिखवा कर आज मैं कार्यवाही के लिये इनके साथ आया हूं। संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना गोवर्धन विलास रिश्वत की राशि के सम्बन्ध में लक्ष्मी की बजाय मुझसे ही वार्ता करेगें। इस पर

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भगवाना मीणा सह-परिवादी के परिवादिया की लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 9.10 एएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा एवं सह-परिवादी श्री भगवाना मीणा को पुनः ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर रिश्वत राशि सत्यापन के क्रम में श्री सुरेश कुमार कानि. को कार्यालय में तलब किया जाकर परिवादिया एवं सह परिवादी का श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से आपस में परिचय करवाया गया तथा श्री सुरेश कानि. 424 से कार्यालय आलमारी से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर को निकलवाया जाकर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन (चालू बन्द करना) की विधि समझाई गई एवं श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से नया रिक्त मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर में डलवाया गया एवं सह-परिवादी श्री भगवाना मीणा को रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु थाना गोवर्धन विलास उदयपुर की ओर मुनासिब हिदायत के समय लगभग 9.30 एएम पर रवाना किया गया। दर्ज रहे कि संदिग्ध हैडकानि श्री संजय कुमार मीणा परिवादिया से सीधे वार्ता नहीं करेगा। अतः परिवादिया को ब्यूरो कार्यालय पर ही मुकीम रखा गया। तत्पश्चात समय 11.15 एएम पर श्री सुरेश कुमार कानि. 424 मय सह-परिवादी श्री भगवाना मीणा के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु गया हुआ उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि मैं व सह-परिवादी कार्यालय से समय 9.30 एएम पर रवाना हो थाना गोवर्धन विलास से कुछ दूरी पर पहुंचे जहां पर मेरे द्वारा सह-परिवादी को पुनः ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई गई एवं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर श्री भगवाना मीणा को सुपुर्द किया जिसे श्री भगवाना मीणा द्वारा अपने पहने हुए कपडों में छुपाया और थाने की ओर पैदल-पैदल रवाना हो गया। मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे थाने के पास अपनी उपस्थिति छुपाये खडा रहा। इसके कुछ देर बाद सह-परिवादी थाने के बाहर आया। मैं भी सह-परिवादी के पीछे-पीछे थाने के कुछ दूरी पर जहां पर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द किया वहां पहुंचा परिवादी श्री भगवाना मीणा ने मुझे ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्ड चालू अवस्था में सुपुर्द किया जिसे मैंने बन्द कर अपने पास रखा मेरे द्वारा सह-परिवादी श्री भगवाना मीणा को पूछा गया तो उसने मुझे बताया कि मैं थाना गोवर्धन विलास गया मैं थाना गोवर्धन विलास में गया जहां पर मेरे द्वारा श्री कालूलाल जी एएसआई साहब मिले जिनहोने मुझे कहा कि तेरे भाई प्रकाश को कोर्ट में पेश करेगें कोर्ट आ जाना उसके बाद मैं संजय जी हैडसाहब से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि होमा की फाईल मैं ही लिख रहा हूं कल शैतान जी ने कल बता दिया तो मैंने कहा कि ज्यादा बताया तो संजय जी हैडसाहब ने मुझे 1500 रूपये देने के लिये कहा तो मैंने अपने पास से 1500/- रूपये दे दिये फिर संजय जी हैडसाहब ने मुझे कोर्ट में आने हेतु कहा। फिर मैं ओर सह-परिवादी दोनो वहां से समय करीबन 10.50 एएम पर रवाना होकर इस समय कार्यलय आये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सह-परिवादी श्री भगवाना मीणा से पूछा गया तो श्री भगवाना मीणा ने श्री सुरेश कुमार कानि द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टी की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चला कर सुना गया तो श्री सुरेश कानि एवं सह-परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्य एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टी होना पाया गया। दर्ज रहे कि संदिग्ध श्री संजय कुमार हैडकानि. द्वारा सह-परिवादी एवं होमा के परिवारजन को कोर्ट में बुलाया गया है जहां पर भी संदिग्ध द्वारा शेष रिश्वत राशि 500 रूपये एवं खर्चा पानी के 500 रूपये अर्थात 500 अथवा 1000 रूपये ग्रहण करने की पूर्ण सम्भावना है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आज ही अविलम्ब आयोजित की जानी है अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाह हेतु पत्र क्रमांक 1706 दिनांक 04.08.2025 श्रीमान निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर के नाम जारी कर श्री अशोक कुमार कानि. को स्वंतत्र गवाह हेतु रवाना किया गया। फिर समय 11.50 एएम पर श्री अशोक कुमार कानि. 07 मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर पुत्र स्व. श्री भूवनेन्द्र भारती उम्र 43 साल निवासी 54/423 न्यू विद्यानगर श्री जी विहार हिरणमगरी सेक्टर नं. 04 उदयपुर हाल सहायक प्रशानिक अधिकारी कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल उम्र 27 साल निवासी फतेहनगर शेखावाटी जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यलिय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर के उपस्थित हुए। जिस पर मन् जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर दोनो गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया लक्ष्मी मीणा एवं सह-परिवादी श्री भगवाना का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादिया की लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढकर सुनाई गई तो परिवादिया ने लिखित रिपोर्ट सह-परिवादी श्री भगवाना के पुत्र थावरा से लिखवाया जाना एवं उस पर स्वयं के अंगुष्ठ होना एवं सह-परिवादी श्री भगवाना के हस्ताक्षर ने स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की गई। फिर समय 12.05 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने हेतु परिवादिया की लिखित रिपोर्ट एवं अब तक के कार्यवाही के रनिंग नोट, डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय स्वतंत्र गवाह मन् पुलिस निरीक्षक श्री नरपत सिंह चारण को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अतः मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया एवं सह परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चला कर सुना गया तो श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. थाना गोवर्धनविलास द्वारा परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा के पति श्री होमा के विरूद्व थाना गोवर्धनविलास में दर्ज प्रकरण में

मारपीट नहीं करने एवं जमानत करवाये जाने हेतु 1500 रूपये मांग कर ग्रहण करना तथा सह-परिवादी को आरोपी होमा के परिजन के साथ कोर्ट में मिलने हेतु कहा है अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित किया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा को आरोपी श्री संजय मीणा हैडकानि. थाना गोवर्धनविलास को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 1000 रूपये प्रस्तुत करने हेतु कहने पर परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा द्वारा अपने पास से 500-500 रूपये के 02 नोट कुल 1000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये गये जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा द्वारा पेश किये गये समस्त नोटों पर श्री अशोक कुमार कानि. 07 से कार्यालय में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री संजय कुमार मीणा को देने के लिए परिवादिया द्वारा पेश किये गये नोट अब तक की कार्यवाही अनुसार आरोपी श्री संजय कुमार हैडकानि सह-परिवादी श्री भगवाना से ही रिश्वत राशि ग्रहण करेगा अत: सह-परिवादी श्री भगवाना के पहने हुए शर्ट की उपर बायीं जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर जेब में कुछ नहीं रखते हेतु रिश्वती राशि श्री आशोक कुमार कानि. 07 से रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री मांगीलाल कानि. से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादीगण को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अशोक कुमार कानि. 07 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी सह-परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेंगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री अशोक कुमार कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री अशोक कुमार कानि. 07 से ही कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, अशोक कुमार कानि. 07 को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। फिर समय 12.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादीगण को यह हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपनी सिर पर हाथ फेरने का गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री पुष्करलाल हैडकानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण तथा संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं सह-परिवादी श्री भगवाना को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादीगण स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। संदिग्ध श्री संजय कुमार हैडकानि. द्वारा परिवादीगण को शेष रिष्वती राषि 1,000/- रूपये लेकर अभी बुलाया है जिस पर समय 12.54 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा के साथ सह-परिवादी श्री भगवाना को मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू कर पैदल-पैदल ही कोर्ट परिसर की ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर एवं श्री सुनील कुमार एवं ब्यूरो जाब्ता श्री मांगीलाल कानि., श्री सुरेश कुमार कानि मय मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संशाधन के सरकारी वाहन संख्या आर.जे. 14 यूएल 5807 मय चालक श्री विक्रम पण्ड्या तथा शेष ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि. श्री एवं प्रियंका महिला कानि. को पैदल-पैदल रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान कोर्ट परिसर उदयपुर के लिये रवाना हुए। दर्ज रहे कि मन् पुलिस निरीक्षक मय मय स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर एवं श्री सुनील कुमार एवं ब्यूरो जाब्ता श्री मांगीलाल कानि., श्री सुरेश कुमार कानि मय मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संशाधन के सरकारी वाहन संख्या आर.जे. 14 यूएल 5807 मय चालक श्री विक्रम पण्ड्या ब्यूरो इकाई उदयपुर से रवानाशुदा कोर्ट चौराहा उदयपुर पहुंचा जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन को एक साईड में खडा कर चालक श्री विक्रम पण्ड्या को मुनासिफ हिदायत देकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान कोर्ट परिसर पहुंचे जहां पर शेष ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि. श्री एवं प्रियंका महिला कानि. एवं परिवादीगण भी कोर्ट

परीसर में एसीजेएम कोर्ट नं. 03 उदयपुर के निचे उपस्थित मिले जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीगण को कोर्ट में जाकर संदिग्ध श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल को रिश्वत राशि दिये जाने हेतु ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक एवं हमराहियान परिवादीगण के पुनः कोर्ट से लिये आने एवं रिश्वत राशि के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे रहे कि कुछ देर बाद परिवादीगण एवं संदिग्ध श्री संजय कुमार हैडकानिस्टेबल तीनो कोर्ट से निचे उतरे एवं संदिग्ध श्री संजय कुमार हैडकानिस्टेबल द्वारा निचे उतरते ही सह-परिवादी से रिश्वत राशि लेकर अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी के पेन्ट की सामने वाली बायीं जेब में रखे जिस पर सह-परिवादी द्वारा रिश्वती राशि स्वीकारोक्ती का पूर्व निर्धारित ईशारा समय करीबन 1.14 पीएम पर किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादीगण के पास पहुंचे जहां पर उपस्थितिन के समक्ष सह-परिवादी श्री भगवाना ने उसके पास खडे वर्दीधारी हैडकानिस्टेबल की ओर ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि यही हैडकानिस्टेबल श्री संजय कुमार मीण है जिसने श्रीमती लक्ष्मी मीणा के पति होमा से मारपीट नहीं करने एवं कोर्ट से जमानत करवाने की एवज में सुबह मुझसे 1500 रूपये मांग कर ग्रहण किये एवं अभी शेष रिश्वती 1000/- रूपये अभी-अभी मांग कर अपने दोनो हाथों मे ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी के पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वर्दीधारी हैडकानि. को नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री संजय कुमार मीणा पुत्र श्री लक्ष्मणलाल मीणा उम्र 36 साल निवासी मिठी महुडी थाना खेरवाडा जिला उदयपुर हाल हैडकानि 2619 थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर में नियुक्त होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल को सह-परिवादी श्री भगवाना से ग्रहण की गई राशि के बारे में पूछा गया तो श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल ने राशि सह-परिवादी द्वारा जबरन वर्दी के पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखना बताया जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल के जेबों की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से लिवाई गई तो आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल की पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब से 1000/- रूपये मिले जिन रूपयों को स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर के पास ही सुरक्षित रखवाई गई। चुंकी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जानी एवं कोर्ट परिसर में बैठने की सुलभ व्यवस्था नहीं होने एवं अधिवक्ताओं की भीड होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल का दाहिना हाथ श्री सुरेश कुमार कानि एवं बायां हाथ श्री मांगीलाल कानि से कलाई के उपर से पकडवाया जाकर पैदल-पैदल मय परिवादीगण के ब्यूरो कार्यालय रवाना हुए एवं सरकारी वाहन चालक को मय वाहन के कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दियें एवं रवाना होकर समय लगभग 1.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। दर्ज रहे कि आरोपी द्वारा मौके पर बताया गया कि रिश्वत राशि 1000/- रूपये सह-परिवादी द्वारा जबरन आरोपी के पेन्ट में रखे एवं सह-परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया है कि रिश्वती राशि आरोपी हैडकानिस्टेबल द्वारा अपने दोनो हाथों के ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी के पेन्ट की सामने की बायीं तरफ की जेब में रखी है आरोपी के दोनो हाथों का धोवन लिया जाना वांछित होने अग्रिम कार्यवाही के तहत मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री पुष्करलाल हैडकानि. से सरकारी वाहन में ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रैप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर कार्यालय में रखे केम्पर में से साफ पानी की बोतल मांगीलाल कानि. से मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट श्री पुष्करलाल हैडकानि. से कराये जाकर मार्क RH1 व RH2 अंकित किया। चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट श्री पुष्करलाल हैडकानि. से कराये जाकर मार्क LH1 व LH2 अंकित किया। चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी की जेब में से बरामद रिश्वत राशि जो मौके पर स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को विशाल माथुर को पेश करने हेतु कहने पर उसके द्वारा राशि पेश करने पर स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार से उक्त राशि जिसमें 500-500 के 02 नोट होना पाया गया जिन नोटो के नम्बरों विवरण निम्नानुसार हैं-1 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9CT1998842 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8RD716353उपरोक्त नोटो के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान द्वारा पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरों का मिलान हुबहु हुआ। उक्त बरामदशुदा नोटो को एक कागज चिट पर सीलबन्द करवाये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. द्वारा सह-परिवादी श्री भगवाना से ग्रहण की गई रिश्वती राशि को अपनी पहनी हुई वर्दी के पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखा जाने से उक्त वर्दी के पेन्ट के बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से लॉवर मंगवाया जाकर पहनने हेतु उपलब्ध करवाई गई व पहनी हुई वर्दी के पेन्ट को ससम्मान उतराई जाकर टेªप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास श्री पुष्करलाल हैडकानि. से निकलवाकर उसमें

साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें परिवादीगण, दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में वर्दी के पेन्ट के सामने की बायीं जेब को उल्टा कर डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को काँच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द कर मार्क P1 व P2 अंकित किया। तत्पश्चात अरोपी की पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाया जाकर कपडे की थैली को मिलचिट कर मार्क P3 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग कानि. श्री सुरेश कुमार 424 द्वारा ब्यूरो के सोनी कम्पनी के केमरे में नया रिक्त सेन डिस्क 64 जीबी मैमोरी कार्ड डलवाया जाकर विडियों रिकार्डिंग करवाई गई। उक्त फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के हिरणमगरी स्थित सरकारी क्वार्टर की खाना तलाशी हेतु निर्देशानुसार श्री लक्ष्मणलाल डांगी पुलिस निरीक्षक को सूचित किया गया। फिर समय 03.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादीगण के समक्ष आज दिनांक 04.08.2025 को समय करीब 9.57 एएम पर सह-परिवादी श्री भगवाना एवं आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि 2619 के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादीगण श्री भगवाना एवं परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. 2619 के समक्ष श्री मांगीलाल कानि. से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर शब्द व शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता में सहपरिवादी श्री भगवाना ने एक आवाज अपनी स्वयं की अन्य आवाज आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. 2619 ने अपनी होने की ताईद की। फिर समय 5.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादीगण के समक्ष आज दिनांक 04.08.2025 को समय करीब 12.54 पीएम पर सह-परिवादी श्री भगवाना एवं आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि 2619 के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन वक्त हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादीगण श्री भगवाना एवं परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. 2619 के समक्ष श्री मांगीलाल कानि. से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर शब्द व शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। उक्त वार्ता में सहपरिवादी श्री भगवाना ने एक आवाज अपनी स्वयं की अन्य आवाज आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि. 2619 ने अपनी होने की ताईद की। फिर समय 6.30 पी.एम. पर इस समय आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 की दौराने ट्रेप कार्यवाही में कानि. श्री सुरेश कुमार कानि 424 के द्वारा ब्यूरो के विडियों केमरे में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड VM ELITE 32 GB डलवाया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त विडियों केमरे मे ऑडियो/विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त विडियों केमरा में प्रयुक्त मैमेारी कार्ड को विडियों केमरे से निकलवाकर श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से लेपटोप मे कनेक्ट करा कर SANDISK 16 GB के 03 पेनड्राईव में कोपी करवाये गये। मूल पेनड्राईव SANDISK 16 GB ULTRA बरंग लाल/ग्रे को पेनड्राईव कवर में रखकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखवाकर सफेद कपड़े की थेली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सिलचिट कर मार्क PD1 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दुसरे पर आईओ पेनड्राईव एवं तीसरे पेनड्राईव पर आरोपी लिखा गया। तत्पश्चात् कानि. श्री सुरेश कुमार द्वारा लेपटोप से विडियों केमरा से मूल मेमोरी कोर्ड को निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड कवर में रखवाया जाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में कागज की चीट लगाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क M1 दिया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत जब्त किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 07.00 पीएम पर थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर से श्री नरेश कुमार कानि 2468 मय मामले हाजा की परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा के पति श्री होमा मीणा के विरूद्ध थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 257/2025 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम की मूल अनुसंधान पत्रावली की प्रमाणित प्रति लाकर प्रस्तुत की गई। जिसके प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर कर संलग्न पत्रावली की गई एवं समय 07.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिन स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB ULTRA बरंग लाल/ग्रे को सरकारी लेपटॉप से श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से कनेक्ट करा उसमें संरक्षित वार्तायें दिनांक 04.08.2025 सपरिवादी श्री भगवाना एवं आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की 03 पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पेनड्राईव पर मूल तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव एवं तिसरी पेनड्राईव पर आई.ओ लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK 16 GB ULTRA बरंग लाल/ग्रे को पेन ड्राईव कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखवाकर सफेद कपड़े की थेली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सिलचिट कर मार्क PD अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब एवं आईओ पेनड्राईव SANDISK 16 GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड SANDISK 16GB ULTRA बरंग लाल/ग्रे को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकाला जाकर मेमोरी कार्ड कवर में रखा जाकर सफेद कपड़े की थेली में सीलबन्द

कर मार्क M अंकित करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिनकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय 8.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री संजय कुमार मीणा पुत्र श्री लक्ष्मणलाल मीणा उम्र 36 साल निवासी मिठी महुडी थाना खेरवाडा जिला उदयपुर हाल हैडकानि 2619 थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर को धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना की जाकर किये गये जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने पर जूर्म मे आगाह कर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री विषाल माथुर से लिवाई गई तो पहने हुए कपडो के अलावा अन्य कोई वस्तु/राषि बरामद नहीं हुई न ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। आरोपी के पास एक मोबाईल जो विवो कम्पनी मॉडल वी2205 बरंग निला का हो जिसमे 02 सीम जीओ कम्पनी की जिस के नम्बर [redacted] एवं [redacted] हैं। उक्त मोबाईल को चैक किया गया तो कोई संदिग्ध वार्ताए/विडियों नहीं मिले। मोबाईल आरोपी के कहे अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती निशा डामोर को सुपुर्द किये गये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 को पत्र क्रमांक 1707 एवं 1708 आरोपी के आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु जारी किया गया तो आरोपी ने इसी पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बाद में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये फिर समय 09.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की मीलचिट शिशियां, सीलचिट पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स को श्री पुष्करलाल हैडकानि. को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करा सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई एवं समय 09.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा फर्द नमूना सील पृथक से मुर्तिब कर संलग्न पत्रावली की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिगण को बाद कल दिनांक 05.08.2025 को प्रातः 10.00 बजे घटनास्थल का नक्शा मौके की कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की हिदायत के रूखसत दी गई। दर्ज रहे कि ब्यूरो इकाई उदयपुर पर हवालात नहीं होने के कारण आरोपी को सुरक्षित हवालात में रखने हेतु तहरीर थानाधिकारी भुपालपुरा जिला उदयपुर के नाम गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानि 2619 को सुरक्षित हवालात में रखने हेतु श्री पुष्करलाल हैडकानि एवं श्री सुरेश कुमार कानि. मय सरकारी वाहन मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल के रवाना थाना भुपालपुरा किया गया। समय 11.25 पी.एम. पर श्री पुष्करलाल हैडकानि एवं श्री सुरेश कुमार कानि. मय सरकारी वाहन मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल को थाना भुपालपुरा में सुरक्षित हवालात में रखने हेतु जमा करा हाजिर आये। तत्पश्चात दिनांक 05.08.2025 समय 10.00 एएम पर तलबीदा स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर एवं श्री सुनील कुमार तथा सह-परिवादी श्री भगवाना उपस्थित कार्यालय आये हैं। मामले हाजा में घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया जाना है अतः मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान एवं सह-परिवादी भगवाना एवं ब्यूरो जाब्ता श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार कानिगण के रवाना घटनास्थल कोर्ट परिसर हुआ फर्द नक्शा मौका मुर्तिब करसंलग्न पत्रावली किया गया एवं स्वतंत्र गवाहान एवं सह-परिवादी को रूखसत किया गया एवं समय 11.05 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 को थाना भुपालपुरा से प्राप्त कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण शहरी प्राथमिक जांच केन्द्र न्यू भुपालपुरा से करवाये जाने हेतु पत्र क्रमांक 1715 दिनांक 05.08.2025 मुतिर्ब कर श्री सुरेश कुमार एवं मांगीलाल कानिगण को मय सरकारी वाहन से हिदायत रवाना किया गया। समय 12.10 पीएम इस समय श्री सुरेश कुमार एवं मांगीलाल कानिगण को मय सरकारी वाहन चालके मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 के उपस्थित होकर आरोपी के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जो बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी का 15 योम जेसी रिमाण्ड मुर्तिब कर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेश कुमार, श्री मांगीलाल एवं श्री अशोक कुमार कानिगण मय सरकारी वाहन मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय क्र.सं. 01 उदयपुर के समक्ष मय चेक लिस्ट के रवाना माननीय न्यायालय हुआ। श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय क्र.सं. 01 उदयपुर के समक्ष मय रिमाण्ड फार्म मय चेक लिस्ट के आरोपी को पेश किया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जे.सी. रिमाण्ड स्वीकृत किया जाकर जे.सी. वारण्ट मन् पुलिस निरीक्षक को उपलब्ध करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमाराहियान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी माननीय न्यायालय से ब्यूरो इकाई उदयपुर पहुंचा। जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जे.सी. वारण्ट मय आरोपी को ब्यूरो जाब्ता अशोक कुमार व मांगीलाल कानिगण को सरकारी वाहन से जिला करागृह चित्तौडगढ आरोपी को जमा करा जमा रसीद मन् पुलिस निरीक्षक को पेश करने की हिदायत के रवाना किया गया। समय 3.25 पीएम पर इस समय श्री अशोक कुमार व मांगीलाल कानिगण को सरकारी वाहन से केन्द्रीय कारागृह उदयपुर मय आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 के रवानाशुदा कार्यालय में उपस्थित हो श्री अशोक कुमार कानि. द्वारा अवगत करवाया गया कि आरोपी श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा जमा रसीद प्राप्त की है जो मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत की जो जमा रसीद बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली की गई।इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री संजय

कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 पुलिस थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी मीणा के पति श्री होमा मीणा को प्रकरण संख्या 257/2025 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर परिवादिया के पति श्री होमा मीणा के साथ मारपीट नहीं करने एवं कोर्ट से जमानत करवाने में मदद करने की एवज में महपरिवदी श्री भगवाना से दिनांक 04.08.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 1500/- रूपये ग्रहण करना तथा शेष राशि 1000/- रूपये लेन-देन के वक्त न्यायालय परीसर में अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बायीं तरफ की जेब मौके से बरामद होने पर श्री संजय कुमार मीणा हैडकानिस्टेबल 2619 पुलिस थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन करवाये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।भवदीय,(नरपत सिंह)पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर। .... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संजय कुमार मीणा पुत्र श्री लक्ष्मणलाल मीणा उम्र 36 साल निवासी मिठी महुडी थाना खेरवाडा जिला उदयपुर हाल हैड कानि 2619 थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 97 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1135-38 दिनांक 06.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर 3. उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)